

24/02/25 अधिवक्तागण उप.। वादी अधिवक्ता के प्रति. सं. 5, 6, 7, 8 की तलवी आदिनांक तक नहीं करवाई है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर वादी अधिवक्ता को प्रति. की तलवी हेतु समाचार फा में साया करवाने हेतु प्र. में परमिटर अवसर रिचे जा चुके हैं न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.24 को प्रतिकारीगण की तलवी नहीं करवाने की सूचना में आदेश उमियम ड सीपीसी के तहत कार्यवाही करने की दिनांक भी दी जा चुकी है परन्तु वादी अधिवक्ता के प्रतिकारीगण सं. 5, 6, 7, 8 की तलवी नहीं करवाई है अतः दस्तखत प्रकरण सं. 53/2017, अनवान सोहन सिंह बनाम अमर सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 CrP में आदेश उमियम ड सीपीसी के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नस्वीकृत है। पत्रावली दायरापंजिका के क्र. से क्रम की जाकर दिनांक की सूची में शामिल है।

सहायक क्लर्क एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

